संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 मार्च 1967

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	चौथे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

संसद के दोनों सदनों के इस संयुक्त अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नव-निर्वाचित तथा पुनर्निर्वाचित सदस्यों को मैं अपनी बधाई देता हूं और जो लोग हमारे बीच इस सभा में अब नहीं हैं उनको अपनी शुभकामनाएं।

पहले ऐसा विचार था कि इस महीने तीसरी लोक सभा का अंतिम अधिवेशन खास तौर पर लेखानुदान पास करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन अधिकांश चुनाव परिणाम घोषित होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों ने हमसे यह आग्रह किया कि इस मौके पर नई लोक सभा का ही अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें लेखानुदान पास किया जाए और दूसरी आवश्यक कार्रवाई हो। सरकार इस राय से सहमत हुई और उनकी सलाह पर तीन मार्च को तीसरी लोक सभा भंग कर दी गई।

हमारे चौथे आम चुनाव ने फिर से हमारे लोकतंत्र की शक्ति और सजीवता का सबूत पेश किया है। पिछले सभी आम चुनावों से अधिक मतदाताओं ने इस बार के निर्वाचन में भाग लिया। मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हुआ, जो भी हिंसा और उपद्रव की कुछ दु:खद घटनाएं कहीं-कहीं हुईं जिनकी सभी ओर से निन्दा की गई। आम चुनाव का काम जिस तरह पूरा हुआ उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। साथ-साथ हमारी जनता भी बधाई की पात्र है, जिसने

लोकतंत्र और प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रति उत्साह, परिपक्वता और मर्यादा के साथ अपना विश्वास फिर से प्रकट किया।

स्वतंत्रता के बाद पहली बार केन्द्रीय सरकार से भिन्न राजनीतिक विचारधारा के दलों ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। संघीय लोकतंत्रात्मक राज्य में यह कुछ अप्रत्याशित नहीं। हमारे संविधान में संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के नियमन के लिये उपबंध हैं। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के दौरान संघ और राज्य तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सहयोग, सद्भाव और सामंजस्यपूर्ण संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए कई संस्थाएं बन गई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् जोनल काउन्सिलों और राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के समय-समय पर होने वाले सम्मेलन इनके विशेष उदाहरण हैं।

संघ सरकार संविधान के उपबन्धों को अक्षरशः बिना किसी भेदभाव और सही मायने में पालन करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं को सहयोग से हल करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन संस्थाओं को कायम रखने में सहयोग देंगे तथा विचार-विमर्श द्वारा अपने और केन्द्र दोनों के हित में इनको अधिकाधिक उपयोगी बनायेंगे। देश की एकत्र और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, लोकतंत्रीय संस्थाओं को कायम रखना, आर्थिक विकास और जन-कल्याण हमारा परम उद्देश्य है और इस दिशा में संघ एवं राज्य को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना है।

हमारी सरकार ने अभी-अभी कार्यभार संभाला है। मतदाताओं की इच्छा के अनुकूल नीति और कार्यक्रम तैयार करने और आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने चार प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं:—

उन्होंने संकल्प किया है कि 1971 के अन्त तक खाद्य के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहें;

यह भी संकल्प किया है कि बुनियादी जरूरत की चीजों के मूल्य में अभिवृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और कम से कम समय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाए;

तीसरा संकल्प यह है कि आर्थिक विकास की गति को पर्याप्त तीव्र करें ताकि 1976 तक विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता न रहे; और

यह भी संकल्प किया है कि जन्म-दर प्रति हजार चालीस से घटकर यथाशीघ्र पच्चीस हो जाए, इसके लिए परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

ये काम इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि सारी जनता और दलों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना पूरे नहीं हो सकते। इन्हें प्राप्त करना सरकार का प्रधान उद्देश्य होगा।

खाद्य समस्या का सामना करने के लिए संकटकालीन स्थिति की तरह जो कदम उठाये गये हैं, उन्हें और जोरदार बनाया जायेगा। देश में अपनी पैदावार अथवा आयात से प्राप्त जो भी अनाज सुलभ है, हमें यह देखना है कि उनका वितरण समान रूप से हो। खाद्य के मामले में और कौन से काम करने हैं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पहले ही सम्पर्क किया है।

साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी। आगामी प्रत्येक वर्ष में हमारे खाद्य आयात की मात्रा कम हो जानी चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार काफी रासायनिक खाद और अच्छे बीज सुलभ कराने और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान देगी। लघु सिंचाई और कुओं को अधिक उपयोगी बनाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। सिंचाई की जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं और जिनके निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है उनको शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे तथा सिंचाई के लिए देश में जो साधन सुलभ हैं उनके समुचित और सर्वाधिक उपयोग की व्यवस्था की जायेगी।

बारिश की कमी के कारण खेतों की पैदावार कम हुई और खासकर इसी वजह से पिछले दो वर्षों में कीमतें बढ़ती गईं। समय पर बारिश न होने की वजह से औद्योगिक उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा और औद्योगिक उत्पादन में कमी का एक कारण यह भी था कि विदेशी मुद्रा की कमी होने से आवश्यक कच्चा माल विदेश से मंगाया नहीं जा सका। केन्द्र द्वारा घाटे का बजट और राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) के कारण स्फीति दबाव अधिक बढ़ा। इस स्थिति का सामना करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के हरसंभव उपाय किये जाने चाहियें। पिछले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो साधन और क्षमता पैदा की गई है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। किफायतसारी और कुशलता में कोई विरोध नहीं है और सरकारी खर्च के हर क्षेत्र और हर दिशा में जितनी भी कटौती हो सकती हो, की जानी चाहिये।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और अधिक विकास के योग्य बनाना। इस लक्ष्य को 1976 तक प्राप्त कर लेने के लिए चौथी योजना में उन उद्योग धन्धों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनसे निकट भविष्य में हमारा तेजी के साथ विकास हो, विशेषत: ऐसे उद्योग धंधे जो खेती और निर्यात में सहायक सिद्ध हों। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशलता पर सर्वाधिक जोर देना होगा। पहली तीन योजनाओं में उद्योग धंधों के ऊपर काफी सरकारी

पूंजी लगाई गई है और इस ख्याल से यह बहुत आवश्यक है कि इन उद्योग धंधों से ज्यादा मुनाफा हमें मिले ताकि विकास का काम आगे बढ़े। चौथी योजना की रूपरेखा का मसौदा कुछ महीने पहले प्रकाशित किया गया था। सूखे के कारण जो असर देश पर पड़ा, कीमतों की जो प्रवृत्ति अभी है, देश और देश के बाहर से क्या अतिरिक्त साधन जुटाये जा सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उस मसौदे का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जल्दी ही राष्ट्रीय विकास परिषद् से इस योजना के संबंध में विचार-विमर्श करने के बाद संसद के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

हमारी आबादी पचास करोड़ से आगे बढ़ गई है। यह एक खतरे की सूचक है और यदि हम इस ओर से बेपरवाह रहे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। राज्यों के साथ मिल कर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सभी स्तरों पर सुदृढ़ बनाया जायेगा।

आर्थिक कठिनाइयां तो एक कारण है, लेकिन इनके अलावा भी खासकर नौजवानों के बीच व्याप्त असंतोष के कुछ और भी कारण हैं। आजादी के बाद जो एक नई पीढ़ी पैदा हुई है उसके मन में कुछ नये विचार और नई आकांक्षायें हैं। हमें उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनके संबंध में राज्यों के विचार मांगे गये हैं और उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षापद्धति को पुनर्गठित करना जरूरी है। विश्वविद्यालय स्तर पर एक राष्ट्रीय सेवा की योजना के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हमारी सभी योजनाओं और परियोजनाओं की सफलता हमारे प्रशासन की कुशलता और सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। काम में कुशलता लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किये जायेंगे। योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। अभी जो नियंत्रण लागू किये गये हैं उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और उनमें से जो अनावश्यक होंगे उन्हें हटा दिया जायेगा तथा नियंत्रण को अधिक कुशल और उपयोगी बनाने के लिए उनको फिर से समंजित किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार के पुनर्गठन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं।

सार्वजनिक जीवन और सरकारी कर्मचारियों के आचरण में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला है। इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। सरकार आयोग की इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करती है कि ऊंचे राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पदों के भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए समुचित संस्था के गठन की आवश्यकता है। सरकार शीघ्र ही इस विषय में अपने प्रस्तावों को तय कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आयोग की उन सिफारिशों को जिनका राज्य सरकारों से संबंध है, उन्हें भेज दिया है।

श्रम के संबंध में श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। ग्रामीण श्रमिकों सहित सभी प्रकार के श्रमिकों के आजादी के बाद के काम और रहन-सहन के हालात का पुनरीक्षण कर यह आयोग समुचित सिफारिश करेगा। संघ की राजभाषा के संबंध में दिये गये आश्वासनों को सांविधिक स्वीकृति देने के लिए शीघ्र ही संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। जो घोषणा पहले की जा चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए गोवध पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जायेगी। जैसा कि घोषित किया जा चुका है असम के नेताओं से हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए असम राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। राज्य सरकारों से परामर्श कर वित्तीय वर्ष को बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

आज के संसार में कोई भी देश अलग नहीं रह सकता। भारत को विश्व-कुटुम्ब में अपना समुचित स्थान लेना है। सुरक्षा परिषद् में हमारी सदस्यता से हम पर गुरुतर उत्तरदायित्व आ गया है, जिसे निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

भारत की विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। भारत ने जिस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को प्रवर्तित करने के लिए जितना भी कार्य किया है, उसे अब दोनों गुटों के नेताओं ने स्वीकार कर लिया है अमरीका और रूस दोनों देशों के साथ हमारे विशेष मित्रतापूर्ण संबंध हैं। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति सफल प्रमाणित हुई है। सरकार इस नीति को सुदृढ़ बनाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी और उसके भावात्मक सिद्धांतों पर संकल्प के साथ चलती रहेगी।

आज मानवता के सामने दो संकट विद्यमान हैं। एक है निर्धन राष्ट्रों और धनी राष्ट्रों के बीच बढ़ती हुई खाई। दूसरा है कुछ देशों द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का अस्वीकार।

सरकार की विदेश नीति के दो उद्देश्य होंगे। हमारे राष्ट्रीय हितों—आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंधी हितों को आगे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन। इस उद्देश्य की प्राप्ति में, हम संसार के अधिकांश देशों के साथ अधिकाधिक मित्रतापूर्ण संबंध बनाने और उन्हें कायम रखने में सफल हुए हैं। भारत के अन्य एशियाई देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने का सरकार का विशेष प्रयत्न रहेगा।

यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मित्र देश बर्मा* की सरकार के साथ हमारी सरकार, हमारी परम्परागत सीमा का औपचारिक सीमांकन संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने में सफल हुई है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

सरकार वियतनाम संबंधी अपनी नीति पर दृढ़ है, जिसका अनेक बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार हृदय से इच्छुक है। सामान्य हित रखने वाले हमारे इन दोनों देशों को जिस कटुता और संघर्ष ने कभी-कभी विलग कर दिया है उससे हमें सबसे अधिक दु:ख पहुंचा है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सद्भावना, मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए हमारी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी।

हम चीन के साथ भी शांति से रहना चाहते हैं। परन्तु चीन सरकार की आक्रामक कार्रवाई और गतिविधि और साथ ही उसके द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना की अस्वीकृति—ये बड़ी कठिनाइयां चीन के साथ हमारे संबंध सुधारने में बराबर बाधक बनी हुई हैं।

संसार के जिन मित्र राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अभिकरणों ने हमारे विकास कार्यक्रमों में तथा हमारे खाद्यान्न संकट को दूर करने में हमें अमूल्य सहायता प्रदान की है, उनके हम आभारी हैं।

विकासशील देश भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आपसी सहयोग द्वारा सुदृढ़ कर सकते हैं। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर और हमारे प्रधान मंत्री—इन तीनों गुट-निरपेक्ष देशों के नेताओं के त्रिपक्षीय सम्मेलन ने इस दिशा में कार्य करने का आधार स्थापित कर दिया है।

हाल ही में हमें एक और राष्ट्र के अध्यक्ष, अफगानिस्तान के महामान्य सम्राट, के स्वागत करने का अवसर मिला जिनके साथ हमारी बहुत ही मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई।

संसद सदस्य, आज हमारे सम्मुख जो प्रश्न हैं उनमें से कुछ का मैंने संक्षेप में उल्लेख किया है। इन विषयों में तथा अन्य विषयों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का आपको यथासमय अवसर मिलेगा। आपका वर्तमान सत्र छोटा ही होगा, जो कुछ अनिवार्य वित्तीय और बजट संबंधी कार्यवाही तक सीमित रहेगा। आगे की कार्यवाही पर विचार करने के लिए आप फिर से शीघ्र ही मिलेंगे।

वर्तमान सत्र में निम्नलिखित अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे:—

(1) खनिज उत्पादन (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1966,

(2) अत्यावश्यक वस्तुएं द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 1966,

(3) भूमि अर्जन (संशोधन) तथा मान्य अध्यादेश, 1967 और

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1967।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) स्थिरता विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा।

1967-68 के वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

यह हमारे लिए दु:ख का विषय है कि राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। हमारी हार्दिक आशा है कि इस व्यवस्था को अधिक समय तक बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा और शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार फिर से स्थापित करना सम्भव होगा। 1967-68 के वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

संसद सदस्य, मेरी शुभकामना है कि आप अपने प्रयास में सफल हों।

डॉ. एस. राधाकृष्णन